प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 14 चाय विकास खाते से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 33कख का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन निर्धारिती को भारत में काफी उगाने और उसका विनिर्माण करने का कारबार करने के लिए कटौती अनुज्ञात करने के लिए है। धारा 33कख की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि निर्धारिती के उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए ऐसे कारबार के खातों की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई हो और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित उस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट नहीं दे देता है। तथापि ऐसे किसी मामले में जहां निर्धारिती से किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने की अपेक्षा की गई है वहां यह इस उपधारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि ऐसा निर्धारिती, ऐसी विधि के अधीन ऐसे कारबार के लेखाओं की लेखा परीक्षा कराता है और ऐसी अन्य विधि के अधीन यथा अपेक्षित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट दे देता है और इस उपधारा के अधीन विहित प्ररूप में और रिपोर्ट दे देता है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है जिसमें ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी और आय की विवरणी के साथ दी जाएगी।

विधेयक का खंड 30 समामेलन या निर्विलियन में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक को अग्रनीत करने और मुजरा करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 72क को प्रतिस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि संचयित हानि का मुजरा या उसे अग्रनीत नहीं किया जाएगा और समामेलित कंपनी के निर्धारण में शेष अवक्षयण तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी अन्य शर्तों को जो विहित की जाएं, पूरा नहीं कर लेती है।

यह भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को शक्ति प्रदत्त की जाए जिससे कि वह नियमों द्वारा समामेलक कंपनी के कारबार के पुनर्जीवन को सुनिश्चित करने या यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलन शुद्ध कारबारी प्रयोजन के लिए है, ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सके। शर्तें विहित करने की शक्ति उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अनुसार है।

विधेयक का खंड 31 असुविधाग्रस्त आश्रित के चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई उपधारा में ऐसे किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित उसके भरण-पोषण की बाबत कटौती का उपबंध है । इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती से यह अपेक्षित है कि वह धारा 139 के अधीन उस निर्धारण वर्ष की बाबत जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप और रीति में चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति दे ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निःशक्तता की दशा में चिकित्सा प्राधिकारी से विहित प्ररूप और रीति में, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है और उसकी एक प्रति आय की विवरणी के साथ नहीं दे दी जाती है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है जिसमें उक्त धारा 80घघ के प्रयोजनों के लिए ऐसा प्रमाणपत्र निर्धारिती द्वारा दिया जाएगा।

विधेयक का खंड 32 चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसे रोग या व्याधि को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करती है, जिसकी बाबत उसके संबंध में वास्तव में उपगत व्यय के लिए उक्त धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

यह भी प्रस्ताव है कि नई धारा के अधीन ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ सरकारी अस्पताल में कार्य कर रहे किसी तंत्रिका विज्ञानी, अर्बुद्ध विज्ञानी, मूत्ररोग विज्ञानी, रुधिर विज्ञानी, प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ से, जो विहित किया जाए, विहित प्ररूप में, प्रमाणपत्र नहीं दे देता है। अतः बोर्ड को वह प्ररूप जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का भी प्रस्ताव है जो उक्त धारा 80घघख के अधीन कटौती का उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए आय की विवरणी के साथ दिया जाएगा।

खंड 35 आय-कर अधिनियम में, कतिपय विशेष प्रवर्ग के राज्यों में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों की बाबत विशेष उपबंधों से संबंधित एक नई धारा 80झग अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उसके उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम को व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

यह प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित किसी एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र या औद्योगिक संवर्धन केन्द्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क के किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाए।

अतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार "निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र", "एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र", "औद्योगिक पार्क", "साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क", "औद्योगिक क्षेत्र", "औद्योगिक संपदा" या "थीम पार्क" के रूप में किसी क्षेत्र को विहित करने की शक्ति प्रदत्त करने का भी प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार को, नई धारा 80झग के प्रयोजनों के लिए उक्त स्कीम को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदत्त करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 38 आय-कर अधिनियम में, पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय आदि की बाबत कटौती से संबंधित एक नई धारा 80थथख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंध है कि धारा के अधीन निर्धारिती को कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक, वह, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती को ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो विहित की जाएं सम्यक् रूप से सत्यापित प्रमाणपत्र, आय की विवरणी के साथ नहीं दे देता है । अतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा, वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का और प्रस्ताव है जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत के बाहर किसी स्रोत से अर्जित किसी आय की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में, विहित प्राधिकारी का एक प्रमाणपत्र नहीं दे देता है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति, जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र दिया जाएगा और वह प्राधिकारी भी जिससे ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम में पेटेंटों पर स्वामिस्व की बाबत कटौती से संबंधित एक नई धारा 80ददख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई उपधारा (2) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती, प्ररूप में, आय की विवरणी के साथ प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, यह विशिष्टियां देते हुए नहीं दे देता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा, वह प्ररूप और रीति जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र दिया जाएगा और वर्णित की जाने वाली ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित नई उपधारा (3) में यह उपबंध है कि भारत के बाहर किसी स्रोत से अर्जित किसी आय की बाबत इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती, प्राधिकारी से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र आय की विवरणी के साथ नहीं दे देता है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसा प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का भी प्रस्ताव है जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

विधेयक का खंड 40 स्थायी शारीरिक निःशक्तता (जिसके अंतर्गत अंधापन भी है) की दशा में कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80प को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह उस निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय की विवरणी के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की प्रति भी दे ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निःशक्तता के पुनर्निर्माण की दशा में चिकित्सा प्राधिकारी से विहित प्ररूप और रीति में एक नया प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और उसकी एक प्रति आय की विवरणी के साथ नहीं दे दी जाती है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र या नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा और वह प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाए जिससे ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।

विधेयक का खंड 43 विदेशों से करार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को, अधिसूचना द्वारा, आय-कर अधिनियम की धारा 90 के अधीन किए गए करार में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ देने की शक्ति प्रदत्त करता है, यदि ऐसा पद न तो अधिनियम में और न ही करार में परिभाषित किया गया है और ऐसा अर्थ अधिनियम या करार से असंगत नहीं है।

विधेयक का खंड 56 आय की विवरणी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (1ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, और उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अपेक्षित है, नियत तारीख को या उससे पूर्व अपने विकल्प पर किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी ऐसे प्ररूप में (जिसके अंतर्गत किसी फ्लापी, डिस्केट, चुंबकीय कारट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर भी है) देने का विकल्प देता है और ऐसे मामले में, ऐसी स्कीम के अधीन दी गई आय की विवरणी उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली विवरणी समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त स्कीम विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 59 आय-कर अधिनियम में नई धारा 153क, धारा 153ख और धारा 153ग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 153क में यह उपबंध है कि निर्धारण अधिकारी उस धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को सूचनाएं जारी करेगा जिसमें उससे ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस धारा में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के भीतर आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाए ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें विवरणी दी जाएगी।

विधेयक का खंड 78 आय-कर अधिनियम की धारा 197क का यह उपबंध करके संशोधन करने के लिए है कि उस धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय मामलों में कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

प्रस्तावित नई उपधारा (1ग) में यह उपबंध है कि भारत में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से कटौती का हकदार है, यदि ऐसा व्यष्टि, यथास्थिति, धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को लिखित रूप में चार प्रतियों में विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित इस आशय की एक घोषणा देता है कि उस पूर्ववर्ष की उसकी अनुमानित कुल आय पर जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित की जानी है, कर शून्य होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति, जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी घोषणा की जाएगी और वह रीति भी, जिसमें वह उक्त प्ररूप को सत्यापित करेगा, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 79 विहित विवरणी के दिए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा कर की कटौती से संबंधित आय-कर की धारा 206 का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करता है कि आय-कर अधिनियम के इस अध्याय 17 के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (प्रत्येक कंपनी की दशा में प्रधानाधिकारी से भिन्न), अपने विकल्प पर, विहित आय-कर प्राधिकारी को किसी फ्लापी, डिस्केट, मैग्नेटिक कारट्रिज टैप, सीडी-रोम या कोई अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर माध्यम कहा गया है) और ऐसी रीति से जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा। तथापि, प्रत्येक कंपनी की दशा में, प्रधान अधिकारी, ऐसी स्कीम के अनुसार ऐसी विवरणी देगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है जिससे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम और वे शर्तें जिनके अनुसरण में और वह रीति जिसमें आय-कर की विवरणी ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल की जानी हो, विहित की जा सके ।

विधेयक का खंड 81 कर समाशोधन प्रमाणपत्र से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 230 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (1) ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अनिवासी नहीं है और जो कारबार, वृत्ति या नियोजन के संबंध में भारत में आए हैं, तथा जिनकी भारत में किसी स्रोत से व्युत्पन्न आय है, ऐसे प्राधिकारी को जो विहित किया जाए, विहित प्ररूप में, इस आशय का एक वचनबंध देने की अपेक्षा करता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर नियोजक या उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा जिससे आय प्राप्त होती है।

पूर्वोक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (1क) यह उपबंध करने के लिए भी है कि ऐसे व्यक्तियों से जो भारत में अधिवासी हैं स्थायी खाता संख्यांक से संबंधित ब्यौरे या विहित प्ररूप में प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में उनके आने और ठहरने की अनुमानित अवधि से संबंधित ब्यौरे आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी को देने की अपेक्षा की गई है, जो विहित किया जाए।

केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है जिससे प्रस्तावित संशोधन के प्रयोजनों के लिए अपवादों को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और आय-कर प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त करने का भी और प्रस्ताव है जिसे भारत में अधिवासी व्यक्तियों की दशा में प्ररूप दिया जाना है।

यह भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जाएगी, जिसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें स्थायी खाता संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है या जिनकी आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या जिनसे आय-कर के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की गई है, प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

विधेयक का खंड 91 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा प्रत्येक ऐसे निर्धारिती से, जो किसी अन्य व्यक्ति से कोई विहित वित्तीय संव्यवहार करता है, अपेक्षा करती है वह किसी पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी वित्तीय संव्यवहार की बाबत विहित प्ररूप और रीति में, कोई वार्षिक सूचना विवरणी विहित समय के भीतर दे।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे वित्तीय संव्यवहारों, वह प्ररूप और रीति तथा समय, जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी विवरणी दी जाएगी, नियमों द्वारा विहित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 105 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है । यह खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाता है, जो उचित अधिकारी को आयात सूची या आयात रिपोर्ट परिदत्त करेगा । यह खंड केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन आयात सूची और आयात रिपोर्ट के प्ररूप से संबंधित नियम बनाने के लिए भी सशक्त बनाता है ।

विधेयक का खंड 129 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है । यह खंड केन्द्रीय सरकार को उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क्य माल की फुटकर विक्रय कीमत अभिनिश्चित करने की रीति को अधिकथित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 132 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में एक नई धारा 11घघ अंतःस्थापित करने के लिए है । यह खंड, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वहां ऐसी ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए

सशक्त बनाता है, जो दर दस प्रतिशत से कम और छत्तीस प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी, जहां ऐसी कोई रकम उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर ऐसे माल के क्रेता से सम्यक्तः निर्धारित या अवधारित और संदत्त रकम से अधिक संगृहीत की गई है ।

विधेयक का खंड 150, सेवा-कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के कतिपय उपबंधों को उपांतरित करने के लिए है। उक्त उपखंड (ग) उक्त अधिनियम की धारा 94क की उपधारा (2) में एक नया खंड (गग) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि कतिपय ग्राहकों द्वारा विवरणी के फाइल किए जाने से संबंधित नई धारा 71क के अधीन केन्द्रीय सरकार को वह रीति अधिकथित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जिसमें सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को विवरणी देगा।

इस खंड का उपखंड (ख) सेवा-कर के प्रभार से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 का संशोधन करने के लिए है। यह उपखंड केन्द्रीय सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, वह रीति अधिकथित करने के लिए सशक्त बनाता है, जिसमें सेवा-कर संगृहीत किया जाएगा। उपखंड (ग) केन्द्रीय सरकार को, उक्त अधिनियम की धारा 71क के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की रीति के बारे में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 151 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त खंड का उपखंड (ख) सेवा-कर के प्रभारण से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 का संशोधन करने के लिए है। यह उपखंड अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को वह रीति अधिकथित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है जिसमें सेवा-कर संगृहीत किया जा सकेगा।

उपखंड (झ) केन्द्रीय सरकार को उपभोग की गई सेवाओं या उपयोग किए गए माल पर संदत्त शुल्कों या माल पर संदत्त समझी गई सेवाओं के संबंध में संदत्त सेवा के प्रत्यय के प्रयोजन के लिए कराधेय सेवा का उपबंध करने के लिए सशक्त बनाता है।

उक्त खंड का उपखंड (झ) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जो प्रस्तावित विधान द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 5 की परिधि के भीतर लाई गई किसी कराधेय सेवा को प्रभावी बनाने में उत्पन्न हो। उक्त उपधारा (1क) का परन्तुक उक्त उपधारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक ऐसा आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव करता है।

उक्त खंड का उपखंड (ञ) वित्त अधिनियम, 1994 में एक नया अध्याय 5क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को सेवा-कर की बाबत अग्रिम विनिर्णय से संबंधित विषयों में कार्यवाही करने के लिए भी सशक्त बनाया जा सके। यह उपखंड, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्त अधिनियम, 1994 में धारा 96झ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति; धारा 96घ की उपधारा (7) के अधीन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय को प्रमाणित करने की रीति और ऐसे किसी अन्य विषय, के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

अध्याय 5क के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

वह विषय, जिनकी बाबत, विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।